an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014 (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No.9 on Repealing and Amending (Second) Bill, 2014.

Shri D.V. Sadananda Gowda.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I request the House to take up for consideration the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, just wait for a minute. Hon. Members, before we take up consideration of the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014, we have to allot time for its discussion. If the House agrees, we may allot one hour. If necessary, we can extend the time afterwards.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, depending on the number of Members, one hour or more may be allotted.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I do not think it will require much time.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, depending on the number of Members, you can either reduce or increase the time. I have no problem.

HON. DEPUTY-SPEAKER: As it is, only two Members have given their names.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I think Members from the other parties have given the names.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, the purpose of this Bill is to repeal certain obsolete Acts which have become redundant. It also proposes to amend two Acts to correct a formal defect or patent error detected in the Act.

Regarding amending the Bill, I would say that it is one of the periodical measures. By doing these enactments which have ceased to be in force or have become obsolete or retention whereof in the Statute Book itself will create some confusions. So, it has become necessary to do this. All those Acts are to be repealed and removed form the Statute Book.

The second object to be achieved through such a Bill is to correct formal defects or patent errors that are detected in such enactments. Of course, the last such Repealing and Amending Bill was taken up in 2001 in which the Acts from the year 1985 to 1998 were included and 10 such Acts were enacted so far. The total number of the Acts so far repealed is 1291. Section 6 A of the General Clauses Act lays down the principle object why repealing and other things need to be done and what are the effects thereof.

Of course, we are going to repeal these Acts which have been today listed out in this Bill, which are good as dead laws. They are not in force; they are not being used. The co-existence of these dead laws will certainly create some confusion even in understanding laws also. So, the Law Commission has given four reports and the Administrative Reforms Commission has given one report. The Law Commission in its 96th report has suggested to repeal about 22 Acts and recommended to repeal about 9 Acts. Already, nine Acts have been repealed. As per its 148th Report, out of the five Central Acts, the pre-Independence period Acts, four have been repealed and one is under consultation with the States. Especially in its 248th Report, 72 Acts have been identified to be repealed and amended. In its 249th Report about 113 Acts have been identified; in its 250th Report about 74 Acts have been identified; and in its 251th Report about 30 Acts have been identified.

Now, the Administrative Reforms Commission also has identified in 1998 about 1328 Acts out of which 415 Acts have been already repealed and for the rest, actions are being taken. All these recommendations made by the Administrative Reforms Commission, the Law Commissions are under consultation with Central Government Departments of the States.

Today, in the Repealing and Amending Bill we have identified nearly 90 Acts out of which, in two Acts certain small corrections are needed to be done. One is the Railways (Amendment) Act, 2008 and the other is the Indian Maritime University Act, 2008. Small corrections are there. They have been identified. Rest of the things are not in use at all. They are as good as not in force. We are fully aware of the fact that nowadays keeping so many laws in the Statute Book itself creates confusion. So it is the intention of the Government to periodically review, refine and scrap all these outdated laws.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration."

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am most obliged to you for affording me this opportunity to address this august

House on such a matter of crucial importance as the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014.

The Government has introduced a Bill in which a host of statutes, I think as many as 90 statutes are proposed to be repealed and two of them are by way of errors that have crept into the Acts by inadvertence as stated in the Statement of Objects and Reasons.

15.10 hrs (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

It has also been stated in the Statement of Objects and Reasons that the Bill is one of those periodical measures by which enactments which have ceased to be operative or have become obsolete or are unnecessary are repealed and by which the formal defects detected in the enactments are corrected.

Sir, it is learnt that the Law Commission has recommended in its Interim Report of September, 2014 that as many as 253 laws have to be repealed as obsolete and that 34 of the repealed laws do find themselves in the Government Website. The Law Commission headed by its Chairman, Chief Justice A.P. Shaw, retired, has urged further to repeal all Appropriation Acts which are more than a decade old and they numbered as many as 700. We are in agreement with the Government and with the recommendations of the Law Commission that obsolete laws are like dead wood and such laws have to be kept in a state of good repair, pruning has to be done of what is totally unnecessary and obsolete. They are occupying the pages of the law books without any purpose and confound the public like will-o'-the-wisp.

From a cursory perusal it is obvious that the various provisions of the Amending Acts which are sought to be repealed have already been incorporated in to the main Acts. They have become either substantive or procedural laws of the country. Therefore, these Amending Acts are spent force and they no longer require to be placed on the Statute Book. In the Acts, these provisions have already been incorporated and amendments are indicated by way of foot-notes in the main Acts. Therefore, the retention of these Amending Acts is redundant and superfluous. They serve no useful purpose.

Sir, it is my submission that law must be in such state of trimness as to command obedience from all those who come within its purview, however high or mighty he may be. The country that has laws which are not obeyed is not served by Rule of Law. The primary duty of the legislature is to enact laws when such a thing is called for and to repeal them when it is no longer in use. Therefore, we are in agreement with the Government that these useless sets of Acts have to be repealed as they serve no useful purpose. At the same time the Legislature is obligated to the people to codify certain laws also. For instance under Article 141 of the Constitution states that the law declared by the Supreme Court shall be the law of the land. There is a plethora of decisions of the Supreme Court which need to be codified. As a matter of record, our criminal statutes, primarily the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Evidence Act, which govern the criminal procedures and substantive criminal laws are geriatric and also need to be trimmed and new amendments have to be brought in.

So I support the initiative of the Government that comes at this late hour and the move of the Government. Thank you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Chairman, Sir, this is an important initiative taken by the Government. I want that everybody should participate in this debate. I have seen that a lot of parties like Shiv Sena, TDP, LJP, Akali Dal and others, which are part of this Government, are there. Besides that BJD, TRS, YSRCP, AIADMK and even AIUDF and then Mulayamji is also here. After hearing all the speakers from all these parties, if it is needed, I have no problem to take voting tomorrow. I have no problem, if the Congress and other parties want to have some say.

But the only thing is that I would request the Chair to complete the discussion and then take up voting on the Bill tomorrow. Meanwhile, we can take up the Discussion under Rule 193 on Hudhud cyclone and natural calamities after the discussion on this Bill is completed. If the hon. Members of the Congress Party come back now and want to join the debate, that way also I have no problem.

HON. CHAIRPERSON : Now, Shrimati Meenakashi Lekhi.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Chairperson, Sir, the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014 actually enlists 90 Acts for repeal and two Acts for amendment. The Acts for repeal are only amendment Acts that range over a span of 14 years from 1999 to 2013. These are being repealed as necessary changes which have been duly incorporated in the principal Act.

The amendment Act is only to the Railways (Amendment) Act of 2008 and the Indian Maritime University Act of 2008. These include only small defects which are really not substantive in nature.

The Bill basically seems to perform housekeeping activity to make the arena of the Indian legislation free of clutter. The Government has taken over the reigns from an era that was plagued by policy paralysis and does not wish to be impeded by obsolete legislations that will remain floating to the confusion of legislators and advocates like me.

It would be a real mark of creativity and show of mere obstructionism if there is any opposition to this particular Bill. It seems *swachhata* is a virtue. That can only be carried out by the present Government whether of the past deeds or the present. As it turns out, the last such repealing and amending Bill of multiple Acts was introduced in passed in 1999. Friends from the Opposition, a lot of them are missing right now, have been speaking of U turns then and now. The only time that this holds water is in the case way back in 1999 then and now in 2014 we have to turn around to clean up what has been left behind by the lethargy of the previous Government.

In 1998, the Atal Bihari Vajpayee Government had set up a Committee on Review of Administrative Laws which recommended the repeal of 1,382

obsolete Acts. However, only 415 of these have been repealed so far. In the Law Commission of India's Report in 1998, it had recommended the repeal of 253 laws but again sufficient progress was not made on this. Recognizing the need to jumpstart this process, which lay idle in the past 10 years, the hon. Prime Minister set up a new Committee in August 2014 to clear redundant laws that could come in the way of good governance.

In September 2014, the Law Commission of India, in the Report on 'Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal', has reiterated the need for repealing unwanted laws in the legislative domain and referring to the backlog as 'dead wood' in the Report.

One particular observation in the Report that I would like to emphasize here is the inclusion of a repealing provision in Acts that are of a recurrent nature, and for example, a repeal clause in Appropriation Acts. This is a practice that is followed not only in the UK but also other countries like New Zealand and Australia. If we adopt a similar practice, it will leave us, the legislators, with a reduced burden of sifting through the statute books in a clearing exercise such as this. Moreover, it should be noted here that the demand for clearing obsolete laws is not only government bodies but has also come from civil society organizations as well as the Law Commission.

In line with the past practice and recommendations of the Law Commission, I laud the efforts of this Government in taking the exercise forward and taking this much needed step for simplification and clearing the statute books.

In this very spirit of *swachhata* Mission led by our Prime Minister, I support this Bill.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I thank you so much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Repealing and Amendment (Second) Bill, 2014.

This Bill itself is a welcome step taken by the Government of India and the hon. Law Minister because the effort and intention are to clean up and expedite the judicial process. I was listening to the issue of time allocation for this particular Bill. There was a suggestion for allocation of one hour time but then a view came if we can increase or decrease the time that is being allocated to the Bill.

Hon. Chairman, Sir, let me point out a very important fact. How much importance we give to the Bill is a separate issue by itself. But the fact remains that there are about 31.3 million cases that are pending in different courts of our country as of today, including about 64,000 cases that are pending in the Supreme Court of our country and in certain High Courts like Allahabad High Court which has got almost about 10,45,000 pending cases. Hence, this very effort to repeal all those Acts is definitely a welcome step so that the judicial process is expedited.

Added to this, all the Acts contained in this particular Bill are Amendment Acts and hence they find a place in the original Act, and they do not need to exist separately.

Having said that, let me come to the Law Commission Report to which some of our esteemed Members have referred to it. In its 248th Report, the Law Commission of India under the heading 'Obsolete laws warranting immediate repeal', has suggested immediate repeal of 253 laws and their principal laws. Some of these principal laws dates back to 1850, 1860 and have virtually lost its significance and relevance in today's context. Hence, I would urge upon the hon. Law Minister, through you, Sir, that why we should not take immediate steps to clean up those processes to repeal those 253 laws which have been recommended by the Law Commission.

Having said that, I have got one or two observations to make. The Law Commission in its Report also further said that there are 34 Bills which have been repealed already but unfortunately they find a place in the Government's website under the heading, 'Central Acts chronology'. It is not clear even after the Law Commission's recommendation and report, why this has not been done. And, contrary to this, there are five laws which have been passed in 2008. I will just name one or two out of them. One was National Waterway (Talcher-Dhamra) Act, 2008, and the second was National Waterway (Kakinada-Puducherry) Act, 2008. They had been passed in 2008 but do not form a part and parcel of the Central Government's website which should have been done. My submission here is that by doing so, are we not giving a misleading picture to the people of our country? They depend on the Government's report, Government's website and Government's authenticity. Are we not giving a scenario by which people get misguided, and follow a wrong course?

Having said that, in a sense I rise to support this Bill in its entirety, and also I take this opportunity to urge upon the hon. Law Minister to look at all those observations and also to take such efforts that are necessary in expediting the judicial process of our country so that we do not have to face this mammoth figure of sitting on 31.3 million pending cases as of today. Thank you so much, Sir.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Chairman, Sir. On behalf of my party and myself, I rise to support this Bill.

Sir, the hon. Law Minister has introduced the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014 to repeal around 90 amended Acts in the First Schedule as well as in the Second Schedule. But, this Bill is not in tune with Shri Narendra Modi*ji's* agenda which was to do away with the outdated laws. He is of the view that such laws and rules hinder efficient governance. During election speeches as well as in some other meetings, which he addressed, he emphatically said that all the Acts, which are outdated, will be repealed. I would have been happy had the Law Minister introduced a Bill to repeal the Principal Acts, which are redundant.

I was practising as an advocate before I got elected in 2004 in the 14th Lok Sabha. The hon. Law Minister is also an advocate. Many other good friends from the same background are also present here. I would like to say that even magistrates at lower level have quoted such laws, which are outdated and have not been repealed. It is because of such laws that the judiciary in this country is unable to address the issues in the modern society. Thanks to the electronic revolution in this country that at least the practising advocates and the judicial officers are able to connect the latest judgements so on and so forth. The Law Commission in its various reports and not the latest one has suggested for repealing the Principal

Acts, which are outdated and not necessary to the society at all.

I have just heard that the hon. Prime Minister has constituted a committee to repeal such Acts which are not useful to the society at large. I hope that the Government, more particularly the Law Minister will take initiative as early as possible to see that, at least in a phased manner, we repeal the Principal Acts, which are not useful to the society at large.

I once again support the Bill *in toto*.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I wholeheartedly thank the Chair for giving me this opportunity. It once again proves that the hon. Prime Minister does what he says. Our party welcomes this Bill.

In fact, instead of making it once in 10 years, as other countries like Australia does, it could be done annually.

According to me, the precautionary measures that have been provided in the Bill are inadequate. As many as 100 laws are being repealed now and 40 laws are pending with the Parliamentary Standing Committee. If all of a sudden so many Bills are repealed overnight, the people would be at a loss as several cases are pending in various courts. The people would not be able to decide in which direction they go. Either the judges or the concerned parties' stakeholders would be at a loss. So, the precautionary measures could be a little broader, at least, in future.

According to me, more than 30 cases have been referred to the Parliamentary Standing Committee. I am also a party to that. They could also be expedited and helped in repealing quickly. Repealing of Colonial Acts, Partition and Pre-Independence Acts and emergency laws is most welcome. The earlier speaker has mentioned that during Mr. Vajpayee's time as many as 1400 laws were identified but only 400 laws could be repealed. There is a big gap in it. Therefore, whatever the Law Commission recommends or the committee constituted for this purpose recommends, should be done quickly. These laws should also be linked to growth of India either in industry or in social aspects.

It is Prime Minister's vision and dream that 'Make in India' be made more successful, and to make laws more practicable and applicable. Organisations like FICCI and Federation of Indian Industries should also be involved in it, so that the tax systems and other things are also made simple.

While we are very happy in focussing on repealing and amending it, some administrative reforms are also extremely necessary to go parallel with the repealing for the simple reason that whatever growth we expect, like industrial growth, etc., unless administrative reforms are also done simultaneously, this growth cannot be achieved.

The laws should be made investment-friendly. Why we say this is that we are more happy in repealing it, but the existing laws should also be modernised and updated. This is our request to the Government, and unless that is done, the vision or dream of the Government cannot be achieved.

The World Bank has been repeatedly telling India that the legal remedies in other countries is faster, but when it comes to India it takes as many as 1,400 to 2,000 days to get legal remedy. Therefore, the investors are extremely scared to invest in India. So, I would request the Government to consider this aspect also. Repealing it annually, and updating and modernising the laws could also be done simultaneously. Therefore, my repeated points are simplification, modernisation and updation to be done simultaneously.

I would also like to take this opportunity to mention that a lot of cases are pending. As my earlier speaker was mentioning, as many as 32 million cases are there. In fact, he forgot to mention that 32 million cases are pending for more than 5 years out of which 10 per cent to 20 per cent are pending for more than 10 years. It means that the number of Judges that are sanctioned are much much less, and the vacancies are also very high in India. Therefore, unless these things are seen in a comprehensive manner, I do not think that our legal system will be very effective.

With these few ideas, I once again thank the Chair for giving me this opportunity. Thank you very much.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Thank you very much, Sir, for affording me an opportunity to participate in the debate for Repealing and Amending Bill, 2014.

I extend my thanks to the hon. Law Minister for bringing this Bill because the law, which is obsolete and has lost its significance should be repealed, and the Law Commission has also recommended that such type of law should be repealed. This is a periodic measure, and if we see between year 1950 to 2001, then we will find that this measure was first taken only in 2001. Now, after passage of such a long time from 2001 till now, this Bill for repeal has been brought before this august House. This should have been done much earlier. But this move is in consonance with the agenda of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, to do away with archaic laws, which have lost its significance. Now, we do not want to keep the statute books unnecessarily heavy.

I would also like to suggest to the hon. Law Minister that even the pre-World War second-era laws exist, and I would like to suggest that with respect to some of the laws we could not take up the exercise from 1950 till now. It relates to the Criminal Law (Amendment) Act of 1938. Basically, that law punishes Indians who dissuaded persons from joining war. It was enacted to punish persons who made public speeches to dissuade people from enlisting in the defence forces and from taking part in any war in which the British Empire was engaged. By this law, the British Empire even punished acts prejudicial to the recruitment of persons to serve in the armed forces of the Union. This Act was meant to serve the need of the British Empire and is now redundant. Not only this law, but also there are such types of many laws which have become deadwood. Now, there is no reason to keep our Statute Books unnecessarily heavy. I would request the hon. Law Minister to repeal all such laws.

In my opinion, whenever we bring any law, we do keep in mind the legislative competence of the Parliament and the legislative competence of the

State Legislatures, which is provided in the Constitution of India under Article 246. So far as Article 246 (1) is concerned, it speaks about List I of the Seventh Schedule, which is termed as 'Union List'. The Parliament is competent to legislate with respect to that. Article 246 (2) relates to List III of the Seventh Schedule, that is, the 'Concurrent List' where both the Parliament and State Legislatures are competent to legislate with respect to it. Artcile 246 (3) relates to List II, which is the 'State List', where the State Legislature concerned is competent to legislate.

While bringing any amendment or any Bill before this august House, I would request the hon. Law Minister to at least specify as to under which provision of the Constitution and under which Entry, the Bill amendment is, whether it is under the 'Union List' or under the 'Concurrent List', or any other residuary powers, as it will help the hon'ble Members of this august House to discuss the issue threadbare. Secondly, in the Bill, a provision has been made which states:

> "â€¦and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thingâ€¦"

This relates to the 'Savings' provision, but at the same time, it is not clear when this Act will come into force, whether from the date of passage by this august House, or from the date it is published in the Government Gazette, or at any specified date. It is required to be mentioned in the Bill.

These are my views, which I wanted to place before the hon. Law Minister. I thank you once again for giving me an opportunity to participate in the debate.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this debate.

This is a very important Bill. The simple thing is that when our Constitution is being amended so many times, there is a need to repeal certain old Acts. When there is a dynamic situation in the country, we are bound to change many laws or Acts to suit the needs of the people, especially when Shri Narendra Modi Ji got a personal mandate to become the Prime Minister. It is absolutely necessary to weed out those Acts which are redundant or repugnant to the welfare of the people. In the past 67 years, we have seen a lot of Governments coming in and going out, and that the gap between the rich and poor kept on increasing making the Supreme Court to repeal so many laws which have become laughable and ridiculous. Instead of repealing the Acts at the instance of the Supreme Court or the High Court, in a parliamentary democracy, it is better that it is done through this august House because the Parliament is supreme. Since the will of the people is reflected in Parliament, it is better that we do this. This is like weeding out files from any office. Whenever there is any office, the old files are always weeded out after testing them for ten years. But in this repeal and enactment of the Bill, I have seen one Act of 2013 which has not been tested enough. Maybe, it has been tested for one year or two years. So, such hastiness should also be avoided. Any Act should be tested for at least three, four years before it is repealed so that the purpose of the Act is served. But, we really welcome these Acts which are being repealed now.

The Telugu Desam Party headed by our dynamic leader Shri Chandrababu Naidu also require a lot of changes in the existing laws. But changing existing laws or old laws does not help as long as we do not change our attitude. Our attitude should also change. The Act should commensurate with the attitude of the people. At the moment, people want a change, a big change because they have voted for Shri Narendra Modiji personally like the President of India and not to any party. Therefore, I would suggest that if there is any Act which can be brought out repealing the old Act, which did not help the country much either in the economy or in the social sector or in any sector, let us not burden the legal system. Let us not make the Acts as a means to Heaven for the lawyers. Let us make Acts as simple as it should be understood by a common man so that people have a lot of respect in the Legislature and also in the legal system. High Courts and the Supreme Court being the Heavens for the litigations and lawyers, it is high time we attempted to repeal those Acts which are archaic which are not useful. Therefore, this Act is highly welcome. From the Telugu Desam Party, we fully support this. We expect that more changes would be brought in by the BJP led Government. We expect more dynamic laws to suit to the people's aspirations.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, I just now heard the Member of the Telugu Desam Party. Earlier I heard the Members of other Parties also including TRS and others saying that there are many obsolete and redundant laws. The Law Minister who has taken over recently is studying every Act. To the extent possible, as many Acts as possible which are redundant, which are obsolete, are all going to be annulled. That effort is going on. The Prime Minister gave us a three 'S' Mantra. He said: Skill, Scale and Speed. Why I have intervened is for one reason. Some people were asking me outside also and some of our friends from the Opposition are saying as to why the Government is in a rush. We are not in a rush. People's expectations are very high. So, we have to work with alacrity and speed. That is why, we are bringing this legislation. Members can participate for as much time as they want. They can give their suggestions. If necessary, we can sit up to late in the night also or even tomorrow morning also. We have no problem. The Government is very clear. We want to discuss, debate and decide and not disturb. This is the approach of the Government.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 के बारे में मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है।

सभापति जी, जो विधेयक हमारी सरकार लाई है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ऐसे कितने ही कानून बने हैं, जो सिर्फ कानून की किताबों में हैं, व्यवहार में उनका कोई औचित्य नहीं है। ये कानून लोगों पर बोझ हैं और ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए हमारी सरकार यह जो बिल लाई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे स्मरण है कि वर्ष 2014 के चुनाव के वक्त हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बना था, उसमें भी इस मुद्दे को शामिल किया गया था कि जितने ऐसे कानून हैं, जो व्यवहार्य नहीं हैं, लोगों पर बोझ हैं, उनको हम निरस्त करेंगे, ऐसे कानूनों को हम दूर करेंगे। लोगों के लिए कानून का सरलीकरण करने का जो यह प्रयास है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना

चाहता हूं। ऐसे कई कानून हैं, जो ब्रिटिश काल में बने थे। ऐसे कई कानून सिर्फ किताबों में ही पाए जाते हैं। मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि पिछली सरकार जिसने दस साल तक शासन किया, कई नए कानून तो बनाए, लेकिन जो पुराने कानून लोगों पर बोझ थे, उन्हें दुरुस्त करने का प्रयत्न नहीं किया। हमारी सरकार जो इस सम्बन्ध में यह विधेयक लाई है, इसे पारित करने के लिए मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं। इन कानूनों की वजह से लोगों को कई दिक्कतें होती हैं।

मैं उदाहरण के रूप में दो-तीन बातें यहां रखना चाहूंगा, जिससे पता चलेगा कि ऐसे कई कानूनों की वजह से लोगों को परेशानी होती है और ये जनता पर बोझ हैं। इसके अलावा कई कानूनों के होने से लोग या शासन भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। सन् 1878 में बने एक कानून के तहत सड़क पर पड़े नोट को देखकर आपको सरकार को जानकारी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जेल की सजा हो सकती है। इसी तरह से 1934 के कानून के मुताबिक पतंग बनाना, बेचना और उड़ाना प्रतिबंधित है। इसके लिए पहले आपको परमिट लेना होगा। मैं गुजरात से आता हूं। वहां पर पतंगबाजी को बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहां लोग पतंग उड़ाने के काफी शौकीन हैं और वे इसका आनंद लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि इस तरह के कानून जनता के लिए बोझ हैं या नहीं।

इसी तरह से एक अन्य कानून है जो विदेशी नागरिकों के यहां ठहरने की अवधि को लेकर है। इस कानून को 1938 में बनाया गया था। इसके अनुसार अगर कोई विदेशी हमारे यहां 180 दिन से ज्यादा अवधि तक ठहरता है तो उसे सरकार को अपनी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट देनी होगी। यह कानून भी ब्रिटिश साम्राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। उस समय इस कानून का यह मकसद था कि भारत के क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाया जाए।

इस तरह के अप्रचलित कानूनों को हटाने के लिए सरकार जो यह विधेयक लाई है, इसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान लोगों से वादा किया था कि अगर हमारा शासन आया तो लोगों के बीच में जो ये अप्रचलित कानून हैं, अप्रासंगिक कानून हैं, इन्हें हम हटा देंगे। इसलिए उनके द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है, मुझे इस पर गौरव है। मुझे गर्व है कि जब 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी थी, तो उन्होंने पी.सी. जैन समिति का गठन किया था, जिसका काम था कि वह ऐसे कानूनों की पहचान करे। उस समिति ने इस तरह के अप्रचलित 415 कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव किया था। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने ऐसे कानूनों को चिन्हित करने के लिए श्री रामानुज की अध्यक्षता में समिति बनाई और उससे कहा गया कि जो भी ऐसे अप्रचलित कानून हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। अब इस विधेयक के जरिए इन कानूनों को रिपील करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय काम है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी भाषा में कानून की प्रस्तुति होनी चाहिए, जिसे आम आदमी समझ सके। देखा जाए तो लगभग सभी कानूनों की भाषा इतनी कम्पलीकेटेड होती है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता है। मेरा कानून मंत्री जी से निवेदन है कि कानून ऐसी भाषा में प्रस्तुत करें कि लोग उसे समझ सकें। कई न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध है। जहां तक हाई कोर्ट्स का सम्बन्ध है, वहां पर क्षेत्रीय भाषा पर रोक है। अब आप ही देखें कि कैसे गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति इस कानून की प्रक्रिया समझ सकता है। अगर वह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, और कभी-कभी वह भाषा इतनी कम्प्लीकेटेड होती है कि पढ़े-लिखे लोगों की समझ के बाहर होती है।

मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात सरकार ने गुजरात हाई-कोर्ट में गुजराती में काम करने के लिए, पहले कई बार केन्द्र सरकार को निवेदन किया है, मगर आज तक गुजराती भाषा में गुजरात के हाईकोर्ट में काम नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी न्यायालयों में रीजनल भाषा में कार्य करने का अनुरोध किया जाए। मैं पेशे से डाक्टर हूं और इस विधेयक में, यह मुद्दा शामिल है या नहीं है, इसका मुझे पता नहीं है। जहां तक पोस्ट-मार्टम का सवाल है, पोस्ट-मार्टम के बारे में शायद ऐसा नियम है कि पोस्ट-मार्टम दिन के समय होता है, रात में नहीं होता है। कभी-कभी शाम को 6-7 बजे हादसा होता है, तो पूरा परिवार रात भर डैड-बॉडी के पास बैठा रहता है। शायद कानून में ऐसा कहा गया है, लेकिन अधिकारिक तौर पर मुझे इसका पता नहीं है। सार्वजनिक जगह पर आप जाओ तो पोस्ट-मार्टम डे-लाइट में ही होता है। मेरी समझ ऐसी है कि डे-लाइट में पोस्ट-मार्टम के जो कलर्स आते हैं जैसे कि साइनोसिस होता है, ब्ल्यूइस कलर होता है, तो वह अच्छी तरह से एप्रीसिएट नहीं होता है। मेरा आंकलन है कि जब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब ऐसे कानून बने होंगे। आज बड़े-बड़े ऑपरेशन रात को होते हैं, तो पोस्ट-मार्टम नाइट में क्यों नहीं हो सकता । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि पोस्ट-मार्टम दिन के उजाले में होने का जो कानून है उसे बदलकर किसी भी समय यह हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसे एक सेमी-इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को रात भर बैठना पड़ता है। जब परिवार में हादसा होता है तो लोगों की स्थिति क्या होती है, हम सभी इसे जानते हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पोस्ट-मार्टम को कानून के दायरे में लाया जाए और किसी भी वक्त पोस्ट-मार्टम इमरजेंसी के तौर पर किया जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) :** I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on "The Repealing and Amending (Second) Bill, 2014".

Sir, this is an important bill. I thank the Hon'ble Minister Shri Gowda for bringing this bill in this august House. This is a timely step and all credit must go to Hon'ble Prime Minister Shri Modi.

As other Hon'ble Members have pointed out, there are several obsolete and redundant laws that had been framed prior to independence. They have lost their relevance now. They are still present in the statute-books. They have lost their usefulness now.

So, the need of the hour is to repeal these laws that are no longer pertinent. Some other laws need to be amended. I will give some instances of such laws.

Sir, we are living in a mechanized age. The laws regarding accidents are out-of-date. These laws need to be updated. A person who is responsible for killing people in a road-accident is not given a severe sentence as there is no provision for that in the accident laws. This law is outdated and needs to be amended. Errant drivers should not escape with lighter sentences. So, the Road Act needs to be reviewed and amended.

Similarly, Sir, no bystander or onlooker comes forward to help the accident-victims on the road. It is because they are harassed by police officials later on. This is a flaw in the law that needs to be amended.

Sir, I hail from Punjab. Large swathes of land earlier fell under the 'forest area'

---

*English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

and were registered as such. However, with the passage of time, forests were cut down and people started living over there. However, they are still registered as forest land. But, now, villages have come up over there and cultivation is done on the land. So, it is high time, this land is granted to the villagers. There are other such cases too. Roads and canals had come up long ago on such 'forest land'. The law needs to be amended keeping in view the present reality.

Similarly Sir, there are places that were initially 'Cantonment Areas'. However, now they have become part of towns and cities. Poor people have their houses there but they cannot get these houses allotted in their names. This is the case in Ferozepur too. Half the town is still in the

Cantonment area. The case was sorted out by Hon'ble Minister Shri Jaitly recently. However, problems remain and these need to be looked into. Such land, where houses of poor citizens are there, should be allotted to them.

Sir, in the end, I thank the Hon'ble Minister Shri Gowda and wholeheartedly support this bill.

Thank you.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने शायद इस बात का गहराई से अध्ययन किया होगा कि अभी जो वर्ल्ड बैंक में एक रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसके अंतर्गत भारत उन देशों में था, जहां अपना कारोबार शुरू करने के लिए 14 सौ दिन तक लग सकते हैं। कानून के इतने हिन्डरेंसिज़ हैं कि किसी को अपना कारोबार शुरू करने में दिक्कतें आती थीं, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के लिए नया कारोबार करना ही बहुत कठिन हो गया। वक्त की मांग है कि भारत को एक अग्रणी राÂट्र बनाने के लिए और यहां बिज़नेस को तेज़ी से चलाने के लिए इस प्रकार के कानून का आना अतिमहत्वपूर्ण है।

37 साल पहले इमरजेंसी के ज़माने में एक कानून बना, जिसके अंतर्गत उस समय के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए संविधान में संशोधन करके एक धारा 329 (ए) जोड़ दी, ताकि कोई उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके। यह तो शुक्र है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में एक आंदोलन चला।

16.00 hrs.

और भारत माता के लाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय देश की अगुवाई की और उस प्रकार के कानूनों से हमें उस समय छुटकारा मिला। आज क्या मतलब है कि एक कानून 1861 का है, घोड़ा-बग्घी का केस है, जो अंग्रेजों के जमाने में चला करती थीं, लेकिन आज उस कानून का भी कई जगहों पर दुरुपयोग करके लेबरर्स को तंग किया जाता है। ऐसे कानून की आज क्या मान्यता है। इसी प्रकार 1957 में एक टेलीग्राफी एक्ट बना था, उसके तहत टेलीग्राफ में जब मैसेज भेजते थे तो तब तांबे की तारें आती थी और उन तारों की बड़े पैमाने पर चोरी होती थी। लेकिन आज डिजिटल क्रांति आई है और शायद आज तांबे का तारों का प्रयोग उतना नहीं होता है। इसलिए उस कानून को भी आज बदलने की जरूरत थी।

आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की विभिन्न अदालतों में चार करोड़ से भी अधिक मुकदमे लम्बित पड़े हैं। इतने लम्बे समय तक केस क्यों चल रहे हैं, कुछ केसिज में सारी उम्र निकल जाती है, क्योंकि कानून पर कानून निकलते जाते हैं और हर कदम पर कुछ ऐसे अवांछित कानून रास्ते में आ जाते हैं कि न्याय मिलने में सारी उम्र निकल जाती है। आज जो ज्युडिशियल रिफार्म्स कमीशन बना है, उसे इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां अमरीका जैसे देशों में एक मिलियन लोगों को न्याय देने के लिए लगभग 108 जजेज होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक मिलियन लोगों पर मात्र 12 जजेज होते हैं। फिर किस प्रकार से मुकदमों का जल्दी फैसला होगा। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी कदम उठाये जाने की जरूरत है, ताकि भारत के लोगों को स्पीडी न्याय मिले।

आज वक्त आ गया है कि जो इस प्रकार के अनुपयोगी और अप्रासंगिक कानून सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और जो भारत की न्याय व्यवस्था में दीमक की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे कानूनों से हमें छुटकारा पाना चाहिए और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदारी लेते हुए अपने भाषणों में बोला है कि किस प्रकार से पोस्टमार्टम के समय पुराने कानूनों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अस्पताल में जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसी तरह से हम सड़कों पर देखते हैं कि एक्सिडैन्ट्स में लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन उनके पास से जाते हुए लोग जानते हैं कि एक हादसा हो गया है, लेकिन कानून इस प्रकार के हैं कि कोई उनकी मदद नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे समय में उनकी कोई मदद कर दें, उपचार के लिए पास के अस्पताल ले जाए तो बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन पुराने कानूनों की वजह से, कानूनी अड़चनों की वजह से लोग इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाते कि वे उनकी किसी प्रकार की सहायता कर सकें और इस प्रकार हमारे देश में हजारों लोग हर वर्ष सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। आज इस तरह के कानूनों में बदलाव लाये जाने की आवश्यकता है। मैं कई बार हैरान होता हूं कि अंग्रेजों के जमाने के कानून सैकिंड वर्ल्ड वार के समय के कानून आज तक हमारी किताबों में चल रहे हैं। कुछ कानूनों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार और सैकिंड वर्ल्ड वार में भारत के लोगों को इंग्लैंड की मदद के लिए वहां की मिलिट्री में किसी सहायता के लिए भर्ती किया गया, हिंदुस्तान के लोग उस फिरंगी शासन के खिलाफ बातें किया करते थे। लेकिन जैसे ही उन बातों का पता चलता था, हिंदुस्तान के लोगों को गिरफ्तार कर के वे फिरंगी लोग अण्डमान निकोबार के काला पानी में भेज दिया करते थे। क्या आज 68 साल की आजादी के बाद उन काले कानूनों की भारत के अंदर जरूरत है? आज वक्त आ गया है कि इस प्रकार के उन पुराने कानूनों से छुटकारा दिला कर भारत के अंदर एक नए खून का संचार हो रहा है।

सभापति महोदय, एक नई क्रांति हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बिजनस को बढ़ावा देने के लिए, इस ग्लोबलाइज़ेशन और लिबूलाइजेशन के युग के अंदर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे देश के अंदर निवेश करने के लिए आए और हमारी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने में सभी देश भागीदार बनें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर रेलवे के नए-नए प्रोजेक्ट्स आएं। हम चाहते हैं कि हमारा देश को ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर कुछ लोग, कुछ देश हमारी मदद करना चाहते हैं तो उस मदद के रास्ते में जो पुराने कानून आ रहे हैं, ऐसे सभी कानूनों से हमें मुक्ति पानी होगी। उसी दिशा में एक यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। मैं इस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, कानून मंत्री जी के द्वारा ऐसे नियम और कानून जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है, उनके निरसन के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में सभ्य समाज में नियम और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उनको उनके कर्त्तव्यों के विषय में बताया जा सके। कालांतर में धीरे-धीरे ऐसे बहुत सारे कानून बन जाते हैं, विभिन्न संदर्भों में बनते हैं, जिनकी उपयोगिता बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन वे कानून सरकारी मशीनरी के हाथ में एक ऐसे हथियार के रूप में रहते हैं, जिनका दुरूपयोग कर के जनता को समय-समय पर बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने ऐसे विभिन्न कानूनों का जिक्र किया, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। लेकिन वे वर्तमान में मौजूद हैं, जिनका दुरूपयोग होता है और लोगों के आम जीवन में जो सरलता होनी चाहिए, उसमें वे कठिनता लाने का काम करते हैं। अभी जैसे बहुत सारे मुकदमों की बात चल रही है। जगह-जगह पर चर्चा होती है कि लोगों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे कानून जो विभिन्न अदालतों द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे समयों में और संदर्भों में दे दिए जाते हैं, जिनका दुरूपयोग ऐसे लोग करते हैं जो अपराधी होते हैं, जिनको सजा होने वाली होती है, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे उन नियमों कानूनों का दुरूपयोग कर के समय सीमा लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और कानून का दुरूपयोग कर के वे बचे रहते हैं। ऐसे में वे सारे कानून जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको समाप्त करने के लिए माननीय कानून मंत्री जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है और सराहनीय है। इसको हम लोग सर्वसम्मति से पास भी करना चाहेंगे।

हमारे विरोधी दल के बहुत सारे साथी, जो सुबह-सुबह बहुत शोर मचाते हैं, कभी-भी सदन को ठीक ढंग से चलने नहीं देते हैं, हम लोग जो पहली बार सदन में चुन कर आए हैं, बहुत प्रयासों के साथ, नियम और कानून के साथ अपने नोटिसेज देते हैं। लेकिन उन नोटिसों को भी संज्ञान में न ले कर वे शोर मचा कर हम लोगों के अधिकारों को समाप्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं। जब कि आज यह इतना बढ़िया समय था कि कितने सारे कानून निरसित किए जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। लेकिन खास कर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लोग आज यहां पर मौजूद नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी का अहसास उनको कौन करायेगा? उनके मतदाताओं ने उनको बहुत अपेक्षाओं के साथ, बहुत आशाओं के साथ इस लोक सभा में चुनकर भेजा है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर, जब उनको यहाँ पर होकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए था और इन नियम-कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए थी, वे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वे शोर मचाते हैं, वैल में आते हैं और हम जैसे लोगों को जो यह अधिकार दिया गया है, यहाँ पर लोक सभा में जो व्यवस्था बनाई गई है, हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने क्षेत्र की बात यहाँ पर कह सकें, उसको भी ये रोकने का प्रयास करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई न कोई ऐसा कानून जरूर बनाया जाए, जिससे हमारे अधिकार को रोकने का जो उनका प्रयास होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे कानून हैं, जिनकी अब उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, जब पहले एन.डी.ए. की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी

तो उन्होंने इसका प्रयास किया था। जैन कमेटी के माध्यम से एक हजार से ज्यादा ऐसे कानूनों को खोजा गया था, जिनको समाप्त करने की आवश्यकता थी। कुछ कानून उनमें से समाप्त किये गए, लेकिन बाद में प्रक्रिया धीमी हो गई। पिछले दस सालों में बहुत धीमी प्रक्रिया रही।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश ने बहुत आशाओं और अपेक्षाओं के साथ भारी जनादेश दिया है। उन्होंने यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम देश में वे सारे काम करेंगे, जिनके द्वारा हमारे देश के लोग सुखी हों। देश के लोगों को रोजगार मिले, उन्हें शिक्षा के अवसर मिलें, उन्हें चिकित्सा का अवसर मिले, उनके कानूनी अधिकारों और कर्त्तव्यों की रक्षा हो, इसके लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। उसी काम के सिलसिले में उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो काम छोड़ा गया था, उसको तुरन्त हाथ में लिया और ऐसे सभी कानूनों को निरसित करने का यह जो विधेयक लाया गया है, इसके पीछे सीधा-सीधा यही प्रयास है। वे सारे कानून जिनकी उपयोगिता नहीं है, वेहमारे अधिकारों को रोकने का काम करते हैं।

16.11 hrs.

(Shri Hukum Singh *in the Chair*)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूँगा। कानून मंत्री जी, मैं तीन विषयों पर बहुत संक्षेप में आपसे बात करना चाहता हूँ। वन विभाग, राजस्व विभाग और रेल विभाग में कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे अगर हम राजस्व विभाग की बात करते हैं तो राजस्व में बहुत छोटे-छोटे मुकदमे होते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई तहसील स्तर पर तहसीलदार और एस.डी.एम. के द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों के पास बहुत सारे अन्य काम भी होते हैं। इससे किसानों का समय व्यर्थ जाता है, धन भी व्यर्थ जाता है और उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि वह व्यवस्था समाप्त करके नये राजस्व न्यायालयों की स्थापना की जाए, जिसमें खेती-बाड़ी से सम्बन्धित मुकद्मे सुने जाएं। आप राजस्व न्यायालयों की अलग से स्थापना करने का काम करें और पुरानी पृथा को समाप्त करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करें और अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, केवल एक मिनट का समय दीजिए। दूसरा, वन विभाग से सम्बन्धित मसला है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गोपाल शेट्टी ।

श्री अजय मिश्रा टेनी : मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से चुना गया हूँ, वहाँ पर लगभग 60 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। यह बहुत सारे लोक सभा क्षेत्रों का मसला है। हमें आपका संरक्षण चाहिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा वन विभाग का क्षेत्र आता है। वहाँ पर बहुत सारे गाँव भी बसे हुए हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैंने दूसरे वक्ता को बुला दिया है। वे खड़े हैं, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : आप जरा एक मिनट बैठ जाइये।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपस में बात मत कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : यह बहुत आवश्यक है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले मैं आपको समझा देता हूँ। निर्देश तो यहाँ के चलेंगे। अब आप दोनों काम करेंगे, आप भाषण भी देंगे और आप ही बिठायेंगे। आप एक ही काम कीजिए और अब समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, आप मुझे एक मिनट घड़ी देखकर टाइम दे दीजिए। हमारे जंगलों के अन्दर बहुत सारे गाँव बसे हैं। उनका विकास इस कारण से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि, वन विभाग के लोग वहाँ पर रोक लगाते हैं। वहाँ पर न तो सड़कें बन पा रही हैं, न हैंडपम्प लग पा रहे हैं, न वहाँ सोलर लाइट्स लग पा रही हैं और न ही वहाँ का विद्युतीकरण हो पा रहा है। मैं कानून मंत्री जी का ध्यान उधर भी आकर्षित करना चाहूँगा और साथ ही साथ आप रेल मंत्री रहे हैं। रेलवे की बहुत सारी सड़कें, संस्थान ऐसे हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, संस्थानों में रंगाई-पुताई नहीं हो पा रही है। इसके लिए भी आप कुछ न कुछ कानून बनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। हम आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय पर जो कायदे बने हुए हैं, उनमें समय पर बदलाव करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैं कानून मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे सही समय पर इन्हें बदलने का कानून यहाँ पर लाये हैं। जब लोग बहुत दिनों तक कोर्ट में केस लड़ते-लड़ते परेशान हो जाते हैं और जब उसकी जजमेंट आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि बाबा आदम के ज़माने का बना हुआ कायदा है या ब्रिटिश के ज़माने में बना हुआ कायदा है। आज हम जब ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं, तो ऐसे पुराने कानूनों को बदलना बहुत ही जरूरी है। ब्रिटिश ज़माने में बना हुआ कानून है कि जून में नए स्कूल बनाने के लिए वे परमिशन नहीं देते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि देश के लोगों को अनपढ़ रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक भारत में राज कर पाएंगे। ऐसे समय के लिए 420 का एक कानून बना हुआ है कि अगर कोई परमिशन लिए बिना स्कूल बनाएगा तो उस पर 420 का कानून लागू होगा। जब मैंने मुम्बई नगर पालिका में 15 साल नगर सेवक के तौर पर काम किया, तो जून महीने में बहुत सारे लोगों पर इस प्रकार के केस लगाए जाते थे। मैंने वहां कहा था कि आपको स्कूल चलाने वाले लोगों पर 420 का कायदा नहीं लगाना चाहिए। जो स्कूल की व्यवस्था नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर कायदा लगाना चाहिए, क्योंकि, लोगों की संख्या बढ़ गई है और स्कूल नहीं होने की वजह से प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। यह कायदा अभी भी अस्तित्व में है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के कायदों को भी बदलने की जरूरत है।

महोदय, आज भी हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, उनके लिए भी कोई अलग कायदा नहीं है। जो क्रिमिनल कायदे हैं, वही कायदे इन पर लगाए जाते हैं। मेरे जैसा सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता जब कभी भी आंदोलन होता है तो आंदोलन में हिस्सा लेता हूं। पुलिस पकड़ती है तो मैं अरेस्ट हो जाता हूं। आज के समय में मुझ पर नौ केस हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा चुनाव के समय हमेशा मुद्दा बनाते हैं कि गोपाल शेट्टी के ऊपर नौ केस हैं। लेकिन ये सभी केस पालिटिकल हैं। राजनीतिक लोगों के ऊपर किस प्रकार का केस लगाना चाहिए, इसका भी नया कायदा बनना चाहिए। पुराने कानूनों में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। पालिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को अगर पकड़ते हैं तो छह या बारह महीने में उसे फ्री कर दो। उस पर छोटा-मोटा फाइन लगाकर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव के पहले इस बात को उठाया और कहा कि जितने भी पालिटिकल पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन पर इस प्रकार के केस फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्दी समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की। उनके सोचने और समझने पर शायद फर्क हुआ होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री की बात स्पष्ट थी कि पालिटिकल पार्टी के लोग अगर गलत करते हैं तो वे जेल जाने चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। हमारे न्याय मंडल में भी " लॉ एंड जस्टिस " का उल्लेख हुआ है। लॉ के हिसाब से वह सही है, लेकिन जस्टिस भी तो मिलना चाहिए। ऐसे सारे जो नियम हैं, वे समय-समय पर बदलने आवश्यक हैं, वरना देश में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वे इस प्रकार के बाबा आदम के ज़माने के कानूनों से परेशान हो जाएंगे। आने वाले दिनों में देश इस बात से पहचाना जाना चाहिए कि इस कानून को नरेन्द्र मोदी जी ने बनाया है जिसके माध्यम से जल्दी से जल्दी केस का निपटारा हुआ और लोगों को न्याय मिला। इस प्रकार की एक आवाज आने वाले

25-50 सालों में सुनने को मिले। इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिए। जितना हो सके कम से कम समय में पुराने कानूनों में बदलाव करते हुए जब हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, जब दुनिया से कम्पीट करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं, ऐसे समय पर पुराने कानूनों को बदल कर नए कानूनों को अमल में लाने की आवश्यकता है। सही समय पर लॉ मिनिस्टर पुराने कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें अभिनंदन करता हूं। मुझे मेरी पार्टी के नेता मेघवाल जी ने अंतिम समय में बोलने का अवसर प्राप्त करके दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : सभापति जी, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी गुड गवर्नेंस, जिसके लिए आज पूरी दुनिया नरेन्द्र भाई मोदी को न्याय और जस्टिस के लिए देख रही है, वहीं आज हमारे कानून मंत्री जी इस अमेंडमेंट बिल को लेकर आए हैं।

महोदय, मैं पुलिस के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। आज पुलिस की स्थिति एक लाचार व्यक्ति से ज्यादा की नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा बदतर है। यदि कोई एफ.आई.आर. लॉज कराता है। एफ.आई.आर. लॉज कराने के पश्चात् पुलिस को तफतीश में सब कुछ मालूम होने के बाद भी वह अगर किसी चीज़ को डिलीट करना चाहे या उसे न लिखना चाहे, तो भी कोर्ट उसको कॉल कर लेती है और उसकी तफतीश के कोई मायने नहीं बचते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की स्थिति को कानून में स्पष्ट अंकित किया जाए। पुलिस की इंवेस्टीगेशन पर हायर ऑथोरिटी रि-इंवेस्टीगेशन तुरंत करे। जो पुलिस लिखे, उसे कोर्ट में जो रि-कॉल का सिस्टम है, उससे कानून में देरी होती है। इसके कारण कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का उसमें छूट जाना भी हमारे लिए एक दुःखद घटना साबित होती है।

महोदय, न्याय में देरी भी इसी वज़ह से होती है कि तफतीश पर तफतीश और कचहरी में पेशी पर पेशी लगती रहती है। इससे कानून एक मज़ाक जैसा लगता है। इससे हमारे कानून की स्थिति एक घायल पक्षी की तरह हो जाती है कि न्याय पाने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता जाता है, पर फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता और देरी से मिले हुए न्याय को न्याय न मिलने के बराबर समझा जाता है।

महोदय, विवाह संबंधी कानून का आज बहुत दुरूपयोग हो रहा है। अगर इसके संबंध में स्पष्ट बात रखी जाए तो वह बात फिर पुलिस की तफतीश पर आकर रूक जाती है। हिन्दू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी के सात साल तक अगर उसकी गृहस्थी में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए और उनकी वैवाहिक स्थिति ठीक न चले तो हमेशा महिला पक्ष की स्थिति को कंसीडर किया जाता है, पुरूष पक्ष की नहीं, चाहे पुरूष पक्ष की गलती नाममात्र की हो। इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार से हमारे जंगली जानवरों के संबंध में वन-विभाग के कई कानून हैं, जिसके विषय में आज नियम-377 के तहत कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे भी हैं। अपने कुरूक्षेत्र से लगे हुए बहुत सारे जंगल हैं। आज वहां जानवरों के कारण किसान अपनी फसलों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। जैसे दलहन की फसलें हैं, शाक-सब्जी की फसलें हैं, इन फसलों को वहां के किसानों को सिर्फ जंगली जानवरों के कारण उस पशु संरक्षण कानून की वज़ह से छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस कानून में भी कुछ इस तरह के प्रावधान आना चाहिए कि उनके लिए कुछ बाउंड्री बनायी जा सकती है, जैसे ज़ू होता है, उसमें वे पशु रखे जाएं। आज जंगली जानवरों की तो परिभाषा है, पर नीलगाय के कारण आज उत्तरी भारत के किसानों की फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आज किसान आत्महत्या पर इसलिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वे इन जानवरों के कारण अपने फसलों की बिजाई नहीं कर पाते।

माननीय महोदय, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आज के जो कानून हैं, उनमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे वन्य कानूनों में रोड निकलने, टनल बनने, बिजली की लाइनें बनाने से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हमारे कुरूक्षेत्र में एक सड़क की फोर लेनिंग की परमिशन और उसके इनॉगेरेशन के लिए आए थे। लेकिन, बी.एफ.ओ. ने अभी तक उसकी परमिशन ग्रांट नहीं की कि उसकी फोर लाइनिंग कर दी जाए। इस प्रकार सरकारी मशीनरी में डिले होने की वज़ह से और काम का रिजल्ट न होने से वे ठेकेदार लोगों से रिश्वत लेने में लगे रहते हैं कि वे इसमें जितना डिले करेंगे, वे ठेकेदार उन्हें उतना ही पैसे देंगे। इसलिए कानून में विलम्ब न हों और जंगल के जो कानून हैं, उसमें इन कामों को लेकर पारदर्शिता से उसको प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to speak in support of the Repealing and Amending (Second) Bill, 2014. I appreciate the effort of the Government to revise, amend and drop certain laws which were framed in the colonial times and which have become redundant and lost their pertinence. They are quite obsolete and they need to be done away with. It is high time to have laws in our nation which are in sync with the modern times and need of the nation. There are many such laws in our country which have become obsolete and they are of no use to the nation.

I will quote two examples here. We have the Oudh Taluqdars' Relief Act, 1870 which remains alive in our country even when the State of Oudh and the Taluqdars do not exist any more. We also have the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960 which allows the poachers and animals to go scot-free by paying a small penalty fine of Rs. 50 only. There are many such examples and most of them relate to the weaker sections of the society like the farmers, the labourers, the tribals who live in the forests and the women, which need to be done away with. It is high time that the Government revised or dropped some of the laws in the larger interest of the nation.

So I appreciate the effort that the Government is making today to amend these laws, to get rid of some of these obsolete laws and to make and create and adopt a list of laws which are more in sync with the modern times. I congratulate the Government and on behalf of my Party, I extend my fullest support. Thank you so much.

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं रोड के संबंध में कहना चाहूंगा कि जब भी कोई रोड बनती है, उसका उद्घाटन होने के बाद भी एक-एक साल बाद तक फॉरेस्ट विभाग की परमीशन नहीं मिलती है, कभी पॉल्यूशन के नाम पर या कभी किसी और के नाम पर और वे काम दो-तीन साल तक लेट होते रहते हैं। माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इससे जो काम रूके पड़े हैं, वे दोबारा शुरू हो जाएंगे और जो समय बर्बाद हो रहा है, वह बचेगा।

अगर फॉरेस्ट की जमीन पर चार पेड़ भी कटने हों तो उसमें भी 6, 8 महीने से लेकर साल भर तक कई बार परमीशन लेने में लग जाता है। हमारे यहां माइनिंग का ईश्यू है। पिछले दस साल से रेत की माइनिंग हो रही है, लेकिन वह सारी इल्लीगल है। इससे न सरकार को पैसा आ रहा है और न ही इसका कोई मतलब है। सिर्फ इस बात पर कि पॉल्यूशन का बैन लगा है, तो जो रेत का ट्रक 10-12 हजार रूपए में मिलता था, वह 35-40 हजार रूपए तक आज बिक रहा है। सरकार के खजाने में उसका कोई अंश नहीं जा रहा है।

जब भी हम चौराहे पर होते हैं तो अवसर देखते हैं, हालांकि कानून जरूर बना हुआ है, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे चौराहे पर खड़े मिलते हैं, दिल्ली के किसी भी चौराहे पर जाएं या दूसरी जगह जाएं, वे

भीख मांगते हुए मिलते हैं। हमें इसके सम्बन्ध में कानून में सुधार करना चाहिए, ताकि वह सख्ती से लागू हो सके। बच्चों का जो अपहरण होता है, उससे भी हमें निजात मिल सकती है।

जब कोई भी फाइल जाती है, तो वह ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडीशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी के पास जाती है। जहां कोई फाइल सीधी जा सकती है, लेकिन उसमें चार-पांच जगह रोक लगती है। उस फाइल के जाते-जाते बहुत लम्बा समय हो जाता है।

पुलिस के सौ साल पुराने कानून बने हुए हैं। आज तक वही लागू हो रहे हैं। इससे लोगों के साथ बड़ा अन्याय भी होता है, चाहे जुडिशियरी में हो या कहीं दूसरी जगह, लोगों के केस लटके रहते हैं। इसमें भी सुधार की बहुत जरूरत है।

तीसरा, मैं डॉवरी के संबंध में कहना चाहूंगा। डॉवरी वाले केस में जिस बहन की शादी हुए भी दस साल हो चुके हों, चाहे वह पिछले दो, सात या दस साल से घर न आयी हो, फिर भी उनके नाम लिखवाये जाते हैं। इन केसों में लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होता है। कई बार इस सदमे में परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। भाई अलग-अलग रह रहे हैं, चाहे वह उस शहर में रह रहा हो या नहीं, उन सबका नाम इसमें लिखा जाता है। इस कानून पर हमें ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए।

कृषि का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसान के साथ अन्याय न हो। आज धान प्रति क्विंटल 2200 रुपए, 2400 रुपए या 2500 रुपए बिक रही है इससे किसान परेशान हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि किसान को कुछ नुकसान न हो। जब किसानों की धान खत्म हो जाती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। किसानों को सेलरवालों से बड़ा भारी नुकसान होता है, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। किसानों के फसल की कीमत के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे 1 महीने या 15 दिनों में उन्हें पैसे मिल जाये। ईख की फसल के बारे में हो या अन्य फसलों के बारे में हो, किसानों को बहुत कठिनाई होती है। अगली फसल बोने के लिए भी उन्हें पैसे की बड़ी जरूरत होती है।

खाद के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसानों को समय पर खाद मिल सके। किसानों को समय पर बिजली मिल सके, इसमें भी सुधार करने की बहुत जरूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर किसान बर्बाद होते हैं तो देश का नुकसान होता है, हमें इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है।

जिस तरह से हमनें सड़कों को जोड़कर पूरे देश को एक किया है उसी तरह नहरों को भी जोड़ा जाये। जिस समय बिहार या अन्य राज्यों में बाढ़ आती है उस समय हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में सूखा पड़ता है। अगर सभी राज्यों को नहरों से जोड़ दिया जाये तो उधर का पानी इधर आ सकता है, जैसे - बिजली और सड़कों से राज्य जुड़े हुए हैं। हमें सभी पुराने कानूनों में सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : As mentioned by the hon. Minister of Parliamentary Affairs and agreed to by the House, we will take this Bill for further consideration and passing tomorrow.

Now, Item No. 10 – Discussion under Rule 193 – Shri M. Rajamohan Reddy.